रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 619] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 1997/कार्तिक 15, 1919
No. 619] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1997/KARTIKA 15, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1997

का. आ. 763 (अ).—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस बात का न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है कि बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है अथवा नहीं ।

[फा. सं.-11011/4/97-एन. ई.-IV]

अशोक कुमार, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1997

S.O. 763(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Bodo Liberation Tiger (BLT) as an Unlawful Association consisting of Justice Shri Lokeshwar Prasad, Judge of Delhi High Court.

[F. No.-11011/4/97-NE. IV]

ASHOK KUMAR, Spl. Secy.

2861 G1/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997